295.24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश नही करना चाहा। प्रतिवादी तहसीलदार सीमलवाड़ा ने जवाब प्रस्तुत किया। जवाब मे तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा तथ्य प्रस्तुत किया गया कि वादिया ने वाद प्रस्तुत करने के पश्चात वादग्रस्त भूमि मे अपना हिस्सा बिना वाद विक्रे किये तथा बिना न्यायालय के संज्ञान मे लाये, अन्य व्यक्तियो को बेचान कर दिया है। तथा वादिया एवं प्रतिवादीगण में से कोई भी वादग्रस्त भूमि मे खातेदार नही है।

तहसीलदार सीमलवाड़ा के जवाब से यह सिद्ध होता है कि वादिया एवं प्रतिवादीगण मे से कोई भी वादग्रस्त भूमि मे खातेदार नही है। वादिया किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने कि हकदार नही रह जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

अतः वादियों द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा